न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 252/2025 | दायर दिनांक 05.05.2025 | निर्णय दिनांक 03-07-2025

उनवान

1. अवि असावा पुत्र सोहनलाल असावा, निवासी 60 शास्त्रीनगर, मेन सेक्टर, भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाड़ा राज0
2. महक्मा, पी0डब्ल्यू0डी0, संस्था के लिये, भीलवाडा जिला भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्रवण कुमार सेन
2. विपक्षी संख्या 01 की और से पैरोकार सरकार।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड ऑनलाईन नक्शें में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 912/6 रकबा 0.1296 हैक्टेयर एवं विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 912 रकबा 10.2844 हेक्टेयर भूमि ग्राम रेणवास प०ह० गेन्दलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बड़लियास तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित है, विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर नम्बर 912 में से ही विपक्षी संख्या 02 के नाम गेमु० सडक दर्ज की गई, जिसे राजस्व नक्शा लट्ठा में नये नम्बर 912/6 रकबा 0.1296 हैक्टेयर कायम कर, रोड़ के अनुसार तरमीम किया गया, किन्तु 912/6 को सेक्रिकेशन के समय ऑन लाईन नक्शा में, नक्शा लट्ठा अनुसार तरमीम नही किया है, ऑन लाईन नक्शा में नक्शा शिट की बॉडर लाईन को तरमीम होना मानते हुऐ तरमीम किया है, जो कि गलत है, जबकि आराजी नम्बर 912/6 रोड के अनुसार तरमीम होना चाहिऐ था, जो कि त्रुटिवश भूल से हुआ है, जिसे ऑन लाईन नक्शा में दुरस्थी फरमा, नक्शा लट्ठा शिट के अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। विपक्षीगण के भूमि के पास ही प्रार्थी की आराजी नम्बर 1127/912 रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसमें आने जाने हेतु मुख्य सड़क से विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 912 में से रास्ता हेतु आवेदन किया, जिसमें मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बनाते समय जानकारी में आया की, कि विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 912/6 नक्शा लट्ठा शिट अनुसार ऑन लाईन नक्शा में तरमीम नहीं हुआ है एवं पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक ने बताया कि उक्त त्रुटि के दुरूस्थ होने के बाद ही रास्ते की रिपोर्ट तैयार करने एवं उक्त त्रुटि को न्यायालय आदेश से दुरूस्थ कराने की हिदायत दिनांक 01.05.20225 को दी, जिससे प्रार्थी की और से विपक्षीगण के विरूद्ध नक्शा लट्ठा शिट के अनुसार ऑन लाईन नक्शा में दुरूस्थी करवा, सही तरमीम किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रेणवास प०ह० गेन्दलिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राज०) में स्थित विपक्षी संख्या 02 की आराजी नम्बर 912/6 रकबा 0.1296 हैक्टेयर भूमि को नक्शा लट्ठा शिट के अनुसार ऑन लाईन में दुरूस्ती करवा सही तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये प्रकरण में नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा द्वारा पत्रांक 418 दिनांक 10.06.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार ग्राम रेणवास के आराजी नम्बर 912/6 रकबा 0.1296 हैक्टैयर भूमि वर्तमान जमाबन्दी अनुसार महकमा पी0डब्ल्यू0डी0 हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये दर्ज रेकार्ड है। नक्शा लट्ठा में उक्त आराजी की तरमीम नहीं है। जमाबन्दी सम्वत् 2034 से 2037 में जरिये नामान्तकरण संख्या 507 से आराजी नम्बर 912/1 रकबा 0-12 बीघा पी0डब्ल्यू0डी0 के नाम दर्ज हुआ। नामान्तकरण संख्या 507 का अवलोकन करने पर पाया कि उक्त नामान्तकरण पर ट्रैस चस्पा नहीं है। आगामी रोटेशन सम्वत् 2038 से 41 में उक्त आराजी का नम्बर 912/1 के बजाय 912/6 दर्ज हुआ है जो वर्तमान तक है। सेग्रीगेशन के समय वॉपकोस शीट में आराजी नम्बर 912/6 की तरमीम हो रखी है तथा मौके पर सडक बनी हुई है। ऑनलाईन नक्शें में उक्त आराजी नम्बर 912/6 में मूल आराजी 912 का भाग भी शामिल हो गया जिस कारण इस आराजी की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में गलत आ रही है। अतः वॉपकोस शीट में की गई तरमीम अनुसार ऑनलाईन नक्शें में किया जाना उचित बताया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत् राजस्व नक्शें में दुरूस्ती का अध्ययन किया गया। राजस्व रेकार्ड का परीक्षण किया गया। ग्राम रेणवास के आराजी नम्बर 912/6 रकबा 0.1296 हैक्टैयर भूमि किस्म गे0मु0 सडक वर्तमान जमाबन्दी अनुसार महक्मा पी0डब्ल्यू0डी0 हिस्सा पूर्ण संस्था के लिये दर्ज रेकार्ड है। नक्शा लट्ठा में उक्त आराजी की तरमीम नहीं है। सेग्रीगेशन के समय वॉपकोस शीट में आराजी नम्बर 912/6 की तरमीम हो रखी है तथा मौके पर सडक बनी हुई है। ऑनलाईन नक्शें में उक्त आराजी नम्बर 912/6 में मूल आराजी 912 का भाग भी शामिल हो गया जिस कारण इस आराजी की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में गलत आ रही है। अतः वॉपकोस शीट में की गई तरमीम अनुसार ऑनलाईन नक्शें में किया जाना उचित प्रतीत होता है। नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131 व 136 का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतःएव्

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131–136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम रेणवास के आराजी नम्बर 912/6 लठ्ठाशीट/वॉपकोस शीट में की गई तरमीम अनुसार ऑनलाईन नक्शें में किया जाने के आदेश दिये जाते है। ऑनलाईन नक्शा दुरूस्ती से कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। नायब तहसीलदार बडलियास जिला भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख/नक्शें में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे। प्रस्तावित नक्शा निर्णय का पार्ट रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा